तहसीलदार [illegible] जयपुर [illegible]

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से 7/2021	
	29/7/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता [illegible] उप0। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी [illegible] हेतु दिनांक 23/9/24 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
	23/9/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] 1/10/24 [illegible] पेश हो	
	1/10/24	[illegible] 29/10/24 [illegible]	
	29/10/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब [illegible] व्यस्त है। अत: [illegible] दिनांक 3/12/24 को पेश हो।	
	3/12/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अन्य राज कार्य [illegible] अत: [illegible] पूर्वानुसार [illegible] 7/1/25 को पेश हो।	
	7/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सोग [illegible] आज कन्डोलेंस किये जाने [illegible] कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/1/25 को पेश [illegible]	
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सोग [illegible] आज [illegible] कार्यवाही [illegible] पी0ओ0 साहब अन्य [illegible] अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/1/25 को पेश [illegible]	

फर्द अहकाम

बनाम

/ 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/3/25 को पेश हो।	
3/3/25	पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] प्रतिवादी [illegible] 1 व 2 की ओर से [illegible] पेश नहीं किया गया। [illegible] 1 व 2 का [illegible] बन्द किया जाता है। वास्ते बहस [illegible] हेतु पत्रावली दिनांक 01/04/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
1/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप0। वकील [illegible] प्रा0पत्र 212 [illegible] पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रा0पत्र 212 [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] निर्णय पृथक से [illegible] गया। पत्रावली नियमानुसार [illegible] के साथ [illegible] की [illegible] गया। (उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय))	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 7/2021
निर्णय दिनांक: 01.04.2025

उनवान

1. ठाकुर श्याम सिंह पुत्र श्री शिवप्रसाद सिं, आयु 54 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पोष्ट सारसोप, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर, हाल निवासी मकान नमबर 55 ग्रीन नगर, दुर्गापुरा जयपुर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर राजस्थान।
2. कृषि अनुसंधान केन्द, दुर्गापुरा जरिये निदेशक, पता दुर्गापुरा जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी /वादी ने एक वाद पत्र बावत स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। कृषि भूमि खाता संख्या नया 10 (दस) पुराना 10 (दस) खसरा नम्बर–91 (इकरानवे) रकबा 0.9600 (जीरो पोईन्ट नौ हजार छः सौ) है0 वाके ग्राम झालाना चौड़, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान में फार्म श्री महारानी जी साहिबा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। महारानी साहिवा स्व0 श्रीमती गायत्री देवी द्वारा जरिये पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 (दस मई दो हजार नौ) अपने स्वयं की खातेदारी भूमि जो कि जयपुर व जयपुर से बाहर स्थित है व उनकी निजी खातेदारी में दर्ज है, को प्रार्थी को उपहार स्वरूप दे दी गई है। इस प्रकार से प्रार्थी उपरोक्त सम्पत्ति का एकमात्र मालिक, स्वामी एवं अधिकारी है तथा प्रार्थी द्वारा उपरोक्त पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 (दस मई दो हजार नौ) के आधार पर स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज करवाने बाबत कार्यवाही तहसीलदार सांगानेर के समक्ष लम्बित है। महारानी साहिबा स्व० श्रीमती गायत्री देवी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किये गये पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 (दस मई दो हजार नौ) के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 में वर्णित कृषि भूमि व महारानी साहिबा स्व० श्रीमती गायत्री देवी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमियों का एकमात्र मालिक होकर उन पर काविज है तथा उक्त कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर–91 स्थित ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान के दक्षिण की ओर अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) के स्वामित्व की कृषि

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

भूमि खसरा नम्बर–92 (बानवे) रकबा 0.7400 (जीरो पोईन्ट सात हजार चार सौ) है० किस्म मै०मु० शस्ता स्थित है। जिस पर प्रतिवादी संख्या–2 (दो) का केन्द्र बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि मे बिना किसी अधिकारिता के दखल किया जा रहा है तथा प्रार्थी को जरिये पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 (दस मई दो हजार नौ) मिली सम्पति के उपयोग–उपभोग से वंचित करने की नियत से अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि को स्वयं की कृषि भूमि बताकर कब्जा करने की चेष्टा की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 11.01.2021 को अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) के कर्मचारी मौके पर आये तथा प्रार्थी द्वारा स्वयं की कृषि भूमि मे किये जा रहे कार्य मे बाधा उत्पन्न की तथा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी को धमकी दी कि उपरोक्त कृषि भूमि से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तथा उक्त कृषि भूमि भी खसरा नम्बर–92 (बानवे) की ही भूमि है व हम तुम्हें उक्त कृषि भूमि में ना तो काबिज रहने देगे तथा ना ही कोई कार्य करने देगे, जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) के कर्मचारियो को उपरोक्त कृषि भूमि पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 (दस मई दो हजार नौ) के माध्यम से प्राप्त होने का हवाला दिया गया तो अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) के कर्मचारी आग–बबूला हो गये तथा प्रार्थी को धमकी दी कि अब किसी भी पारितोषिक पत्र को नहीं मानते है व शीघ्र ही विवादित कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी। जबकि उपरोक्त कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 में है, प्रार्थी को जरिये पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 (दस मई दो हजार नौ) के माध्यम से प्राप्त हुई है तथा उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) को दखल करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) के कर्मचारियों द्वारा दी गई धमकी से प्रार्थी को भय बना हुआ है कि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) व उसके अधीनस्थ कर्मचारी कभी भी प्रार्थी को उसकी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 में किया गया है, से बेदखल कर उस पर कब्जा कर सकते है, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थी अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को माननीय न्यायालय जरिये ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमा देवे कि अप्रार्थी संख्या–01 (एक) व उसके अधीनस्थ कर्मचारी प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि के किसी भी भूभाग पर ना तो कब्जा करे, ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे, ना प्रार्थी को बेदखल करे, तथा प्रार्थी के कब्जे एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि के माध्यम से करावें। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–02 में वर्णित कृषि भूमि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है, जो प्रार्थी को जरिये पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 (दस मई दो हजार नौ) के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर प्राथी। काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। विवादित भूमि को अप्रार्थी संख्या–1 व उसके अधीनस्थ कर्मचारी बिना किसी अधिकारिता के कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका कि उन्हें कोई

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (दिहीय)

अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या–1 (एक) व 2 (दो) व उसके अधीनस्थ कर्मचारी प्रार्थी को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि से बेदखल कर अपने कुत्सित उद्देश्य में सफल हो जावेंगे। जिससे प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है तथा प्रार्थी कृषि भूमि का एकमात्र स्वामी एवं मालिक है, जिस कारण से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–01 व 02 को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अपार्थी संख्या–1 प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खाता संख्या नया 10 (दस) पुराना 10 (दस) खसरा नम्बर–91 (इकरानवे) रकबा 0.9600 (जीरो पोईन्ट नौ हजार छः सौ) है० वाके ग्राम झालाना चौड़, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान के किसी भी भूभाग पर ना तो कब्जा करे, ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे, ना प्रार्थी को वेदखल करे, तथा प्रार्थी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि के माध्यम से करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित। अप्राथी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब नही। दिनांक 03.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–01 व 02 को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि अपार्थी संख्या–1 प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खाता संख्या नया 10 (दस) पुराना 10 (दस) खसरा नम्बर–91 (इकरानवे) रकबा 0.9600 (जीरो पोईन्ट नौ हजार छः सौ) है० वाके ग्राम झालाना चौड़, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान के किसी भी भूभाग पर ना तो कब्जा करे, ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे, ना प्रार्थी को वेदखल करे, तथा प्रार्थी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि के माध्यम से करावें।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:- (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 91 रकबा 0.9600 है0 वाके ग्राम झालाना चौड , पटवार हल्का , भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जयपुर जो कि फार्म श्री महारानी जी साहिबा के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। महारानी साहिबा स्व0 गायत्री देवीद्वारा जरिये पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 अपने स्वय की खातेदारी भूमि जो कि जयपुर और जयपुर के बाहर है को प्रार्थी को उपहार स्वरूप दे दी गई है जिस बावत् राजपरिवार की ओर से महाराज पृथ्वीराजसिंह पुत्र स्व0 महाराज श्री सवाईमानसिंह द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 के आधार पर वादपत्र मे वर्णित आराजीयात कृषि भूमि व महारानी साहिबा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमियों का एकमात्र मालिका होकर काबिज है तथा उक्त आराजीयात का उपयोग–उपभोग करता चजा आ रहा है। प्रार्थी के वादग्रस्त आराजीयात के दक्षिणी की ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 0.7400 है0 वाके ग्राम झालाना चौड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित है जो कि गै0मु0 रास्ता है। प्रार्थी पारितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सावित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी प्रस्तुत की है जिसमें फार्म श्री महारानी साहिब के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा नक्शा जमावन्दी प्रस्तुत की है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा परितोषिक पत्र दिनांक 10.05.2009 के माध्यम से नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया था जो लम्बित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 ने उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को जवरन वेदखल कर कब्जा करने का प्रयास किया। प्रार्थी की उपयोग–उपभोग के कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण को जवरन कब्जा करने तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में वाधा कारित करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। अप्रार्थी द्वारा उपनी दादागिरी से प्रार्थीगण को जवरन वेदखल कर दिया गया/ विशिष्ट भू–भाग पर जवरन कब्जा कर लिया तो तो प्रार्थीगण की वहुलता वढेगी एवं प्रार्थीगण को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण सावित करने में सफल रहे है इसलिए उनके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (दक्षिण)

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 22.01.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम झालाना चौड़, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 91 रकबा 0.9600 है0 में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से में कच्चा पक्का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर